न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।

उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 21/2026

भगवान सिंह **–बनाम–** सत्यप्रकाश

परिवाद संख्या– 3021/2022
धारा– 498 ए, 323 भा०दं०सं०
एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना– सकरौली, जिला–एटा

सत्यप्रकाश उम्र 31 वर्ष पुत्र चन्द्रपाल सिंह
निवासी– मानिकपुर, थाना विजयगढ़, जिला अलीगढ़

10.03.2026

अभियुक्त ओर से प्रस्तुत प्रकरण में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा पूर्व में दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र पर नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को पूर्व में आज दिनांक तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा सात बर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। परिवादी को पूर्व में आपत्ति दाखिल करने हेतु नोटिस जारी किये गये, जिस पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये, जिन्होंने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय माँगने की याचना की गई, जिस पर अभियुक्त को आज दिनांक 10.03.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। आज परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये, किन्तु उनकी ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्षों द्वारा पत्रावली मीडिएशन सेन्टर भेजे जाने की याचना की गयी है। माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा Satendar kumar Antil vs CBI SLP (crl.) No 5191/2021 में पारित सिद्धान्तों तथा मामले के तथ्य व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये हुए जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

अभियुक्त **सत्यप्रकाश** द्वारा परिवाद संख्या– 3021/2022 धारा– 498 ए, 323 भा०दं०सं० एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना– सकरौली, जिला एटा के प्रकरण में मुव० 20,000/– रू० व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
(J.O. CODE- UP 4823)